



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 4791/2026

कैफ अहमद

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता	: - अजीत कुमार मिश्रा
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता	: - शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रार्थी की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना- मानिकपुर, जिला - प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश गिराहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (जिसे आगे 'अधिनियम 1986' कहा गया है) की धारा 2/3 के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 112/2025 के विचारण के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि गैंग चार्ट में प्रार्थी के विरुद्ध एक मुकदमा दर्शाया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इस मुकदमे के अतिरिक्त, प्रार्थी का दो मुकदमों का आपराधिक इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जमानत प्रार्थनापत्र के पैरा-20 में दिया गया है।

4. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि लोक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने और अनुचित सांसारिक, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के जो आरोप प्रार्थी के विरुद्ध लगाए गए हैं, वे अस्पष्ट और मनगढ़ंत हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के विवरण से यह प्रकट होता है कि आरोप लंबित आपराधिक मामले (मामलों) पर आधारित हैं, न कि किसी नए आरोप (आरोपों) या तथ्य (तथ्यों) की खोज पर जिसका बड़े पैमाने पर समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता हो, जिन कारणों से यह अधिनियम, 1986 प्रख्यापित किया गया था। उन्होंने आगे जोड़ा कि वर्ष अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उपयोग पुलिस द्वारा प्रार्थी को उत्पीड़ित और भयभीत करने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा रहा है और इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने अच्छा कार्य दर्शाने या उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया है, जो कि अनावश्यक और अवांछनीय है।

5. अपने तर्कों को विस्तार देते हुए उनका यह कथन है कि प्रार्थी किसी भी असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं है और वह न तो किसी गिरावट का सदस्य है और न ही नेता।

6. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी दिनांक 16.05.2026 से जेल में बंद है, वह अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अपराध का दोषी नहीं है और वह यह वचन देता है कि जमानत पर रहने के दौरान वह कोई अपराध नहीं करेगा, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या साक्षियों को प्रभावित करने का कभी प्रयास नहीं करेगा, जमानत की शर्तों का उल्लंघन कभी नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा। इसलिए, निवेदन है कि प्रार्थी जमानत का हकदार है।

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया है कि गैंग चार्ट में उल्लेखित मुकदमे (मुकदमों) (और गैंग चार्ट के अतिरिक्त स्पष्ट किए गए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मुकदमों) में प्रार्थी (गण) जमानत पर है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और पत्रावली पर प्रस्तुत की गई सामग्री के परिशीलन पर यह प्रकट होता है कि प्रार्थी दिनांक 16.05.2026 से जेल में बंद है और आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दे दिया गया है तथा उसने यह वचन दिया है कि वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

9. दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, दंड के सुधारात्मक सिद्धांत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोषों पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

10. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- **कैफ अहमद** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जाए:-

(1) प्रार्थी विवेचना या विचारण के दौरान साक्षियों को डराकर/धमकाकर या किसी अन्य तरीके से अभियोजन साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा;

(2) प्रार्थी इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में साक्षी उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। वह व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत की गई प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा;

(3) प्रार्थी (i) विचारण के प्रारंभ होने, (ii) आरोप विरचित होने, और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा; और

(4) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

11. प्रतिभूगण की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने और प्रार्थी को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां कठोरतापूर्वक इस जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इसे मामले के गुण-दोष पर किसी प्रकार के प्रभाव के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

29 जून, 2026

दिव्या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।